

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक

23/11/2020

काज यह पत्रावली- मूल दावा में पक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश करने पर चलव की गई। मुलाविक राजीनामा Not received. मूल दावा खारिज हो चुका है। इसलिए उपरोक्त पत्र अस्थाई- निषेधाज्ञा को कोर्टे अलग से कोई कोचिट्य नहीं है।

पुना
[Signature]

काज: 910 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुं नं. 694/2020 डनवानी प्रेमसिंह वनीवान vs परमानन्द वगैरह खारिज किया जाता है। पत्रावली में मूल मुंमा होकर बाद तकमील नम्बर से काम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल रहे।

कम देश खुले न्यायालय में पुनामा गया।

23.11.2020
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

